न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 24/2016

1. गुलाबी पत्नी प्रहलाद, जाति जाट, निवसी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
2. कालूराम पुत्र प्रहलाद, जाति जाट, निवसी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
3. महेश पुत्र प्रहलाद जाति जाट, निवसी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
2. जोखीराम पुत्र शिशपाल, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
3. महाबीर पुत्र शिशपाल, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
4. जगदीश पुत्र शिशपाल, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।
5. छोटू पुत्र शिशपाल, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
6. अर्जुन पुत्र शिशपाल, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
7. सारा देवी पत्नि स्व. बोदू जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
8. चरण सिंह पुत्र स्व. बोदू जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
9. विधाधर पुत्र स्व. बोदू जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
10. सरिता पुत्री स्व. बोदू, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
11. ओमप्रकाश पुत्र स्व. राजू, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
12. जगन पुत्र स्व. राजू, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
13. विनोद पुत्र स्व. राजू, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
14. बीरबल पुत्र स्व. राजू, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
15. बनारसी पत्नि स्व. राजू, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
16. श्योनाथ पुत्र रामदेवा, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
17. छोटूराम पुत्र प्रहलाद, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
18. धमेन्द्र पुत्र प्रहलाद, जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
19. सुभिता पुत्री प्रहलाद पत्नि मोचन्द जाट, निवासी कुदन तहसील सीकर, जिला सीकर।
20. मुन्नी पुत्री प्रहलाद पत्नि गंगाधर जाट, निवासी ... तहसील सीकर, जिला सीकर।

– रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.18 18:51:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 387 ग्राम रघुनाथपुरा,
तहसील उदयपुरवाटी, अ0 धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1 श्री किशोर कुमार जांगिड़, एडवोकेट ––– –––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–––––––––––––––रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री विधाधर जाखड़, एडवोकेट –––––रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4,6,8,9,11 से 15 की ओर से।
4. श्री जितेन्द्र निर्मल, एडवोकेट ––––––––––––– रेस्पोडेन्ट संख्या 16 से 20 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 18.08.2021

उक्त अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 387 ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, अ0 धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– ग्राम रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि नया खसरा नम्बर 368 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 376 रकबा 6.00 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 8.01 हैक्टर स्थित है जो कि हमेशा से अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 17 लगायत 20 के पिता व पति प्रहलाद व रेस्पोडेन्ट 16 की खातेदारी,कब्जे कास्त व हक अधिकारों की भूमि रही है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी सम्वत् 2012 से रामदेवा पुत्र बिन्जा हिस्सा 1/2 व प्रहलाद पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 के नाम से चलती रही तथा रामदेव के फौत होने के पश्चात श्योनाथ पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 व प्रहलाद पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 के नाम से उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी चलती रही तथा इसी अनुसार हक अधिकार रहे है। उपरोक्त वर्णित नए खसरा नम्बरान पुराने खसरा नम्बर 164 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा व पुराना खसरा नम्बर 169 रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा से बने है। उक्त वर्णित प्रकार से खातेदारी सम्वत् 2053 तक बदस्तूर चलती रही परन्तु दिनांक 16.09.1998 को नामान्तरण संख्या 387 तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा उपरोक्त वर्णित नए खसरा नम्बरान में से नया खसरा नम्बर 368 रकबा 1.90 हैक्टर की खातेदारी में श्योनाथ पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2, प्रहलाद पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार की जगह शिशपाल, राजू, बोदू ... शा जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज कर दिया। उक्त नामान्तरण संख्या 387 दिनांक 16.09.1998 के विरूद्ध यह अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.18 18:51:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

तहसीलदार उदयपुरवाटी के खिलाफ निम्न आधार पर पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित नामान्तरण संख्या 387 तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा बिना पक्षकारों की सुनवाई किए, बिना कोई आधार के, बिना कोई साक्ष्य लिए, बिना कोई दस्तावेज के, बिना कोई जांच के मनमर्जी से स्वीकृत किया है, जो विधि विरूद्व तथा निरस्त होने योग्य है। ग्राम रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी के नामान्तरण रजिस्टर की प्रविष्टि संख्या 387 के खाना संख्या 16 में पटवारी हल्का द्वारा निर्णय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर, दिनांक 30.10 1982, निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर 20.11.1986 श्रीमान तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू0अ0/98/1967 दिनांक 23. 06.1998 दर्ज किया है तथा खाना संख्या 16 में श्रीमान जी निवेदन है कि श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक भू0अ0/98/1967 दिनांक 23.06.1998 की पालना में इन्तकाल दर्ज करके वास्ते स्वीकृति सेवामें में पेश है, दर्ज किया गया है। खसरा नम्बर 368 रकबा 1.90 हैक्टर के संबंध में शिशपाल, राजू, बोदू पुत्रान् गणेशा जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा के पक्ष में खातेदारी घोषणा की डिक्री कभी किसी न्यायालय द्वारा जारी नही की गई ना ही ऐसा कोई आदेश किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिससे खसरा नम्बर 368 रकबा 1.90 हैक्टर की खातेदारी में कोई बदलाव किया जावे। नामान्तरण की कार्यवाही महज तीन परिस्थितियों में जबकि कोई खातेदार फौत हो गया हो, तब उसके उतराधिकारियों के नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज किया जाता है, जबकि किसी रजिस्टर्ड डीड के जरिये कोई अन्तरण हुआ हो तब अन्तरीति के पक्ष में नामान्तरण दर्ज किया जाता है, व जबकि योग्य न्यायालय द्वारा घोषणा की जाकर खातेदारी बदलने का आदेश पारित किया गया हो तब न्यायालय के आदेश की पालना में नामान्तरण दर्ज किया जाता है। इन सभी परिस्थितियों में भी अगर अधिक समय निकल जाये तब संबंधित सभी पक्षकारों को सुनकर व साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर नामान्तरण दर्ज करने अथवा नही करने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त नामान्तरण संख्या 387 की कार्यवाही में उपरोक्त में से किसी भी तथ्य को आधार नही बनाया गया है। उपरोक्त वर्णित नामान्तरण संख्या 387 में निर्णय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर दिनांक 30.10.1982 व निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 20.11.1986 को आधार बनाया गया है जबकि निर्णय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर दिनांक 30.10.1982 में आदेश किया गया है कि "अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री उप जिलाधिकारी, नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.18 18:51:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

दिनांक 28.09.1981 निरस्त किए जाते है। इस अपील का खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 20.11.1986 को उक्त संबंध में कोई निर्णय ही पारित नही किया गया है। बल्कि उक्त राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 30.10.1982 के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर के यहां अपील की जाने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 29.11.1988 को निर्णय पारित किया गया जिसमें आदेशित किया गया कि "In view of the above we do not find any force in this appeal which is hereby dismissed." । इसी आशय की डिक्री अपील भी जारी की गई जिसमें लिखा है ' अपील अस्वीकार की जाती है।' उपरोक्त वर्णित आदेशों में कहीं भी किसी खसरा नम्बर की भूमि की घोषणा बाबत अथवा प्रविष्टि बदलने बाबत कोई आदेश नही किया गया है। परन्तु तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा मनमर्जी पूर्वक पक्षकारों से मिलकर अपीलान्ट को बिना सूचना दिए व बिना कोई आधार के नामान्तरण संख्या 387 तस्दीक किया जो निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त सभी तथ्यों व परिस्थितियों के आधार अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 387 तहसीलदार उदयपुरवाटी निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– उक्त अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 387 ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, अ0 धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के विरूद्व पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– ग्राम रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि नया खसरा नम्बर 368 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 376 रकबा 6.00 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 8.01 हैक्टर स्थित है जो कि हमेशा से अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 17 लगायत 20 के पिता व पति प्रहलाद व रेस्पोडेन्ट 16 की खातेदारी, कब्जे कास्त व हक अधिकारों की भूमि रही है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी सम्वत् 2012 से रामदेवा पुत्र बिन्जा हिस्सा 1/2 व प्रहलाद पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 के नाम से चलती रही तथा रामदेव के फौत होने के पश्चात श्यो[illegible] पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 व प्रहलाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.18 18:51:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 के नाम से उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी चलती रही तथा इसी अनुसार हक अधिकार रहे है। उपरोक्त वर्णित नए खसरा नम्बरान पुराने खसरा नम्बर 164 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा व पुराना खसरा नम्बर 169 रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा से बने है। उक्त वर्णित प्रकार से खातेदारी सम्वत् 2053 तक बदस्तूर चलती रही परन्तु दिनांक 16.09.1998 को नामान्तरण संख्या 387 तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा उपरोक्त वर्णित नए खसरा नम्बरान में से नया खसरा नम्बर 368 रकबा 1.90 हैक्टर की खातेदारी में श्योनाथ पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2, प्रहलाद पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार की जगह शिशपाल, राजू, बोदू पिता गणेशा जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज कर दिया। उक्त नामान्तरण संख्या 387 दिनांक 16.09.1998 के विरूद्व यह अपील तहसीलदार उदयपुरवाटी के खिलाफ निम्न आधार पर पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित नामान्तरण संख्या 387 तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा बिना पक्षकारों की सुनवाई किए, बिना कोई आधार के, बिना कोई साक्ष्य लिए, बिना कोई दस्तावेज के, बिना कोई जांच के मनमर्जी से स्वीकृत किया है जो विधि विरूद्व तथा निरस्त होने योग्य है। ग्राम रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी के नामान्तरण रजिस्टर की प्रविष्टि संख्या 387 के खाना संख्या 16 में पटवारी हल्का द्वारा निर्णय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर, दिनांक 30.10 1982, निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर 20.11.1986 श्रीमान तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू0अ0/98/1967 दिनांक 23.06.1998 दर्ज किया है तथा खाना संख्या 16 में श्रीमान जी निवेदन है कि श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक भू0अ0/98/1967 दिनांक 23.06.1998 की पालना में इन्तकाल दर्ज करके वास्ते स्वीकृति सेवामें में पेश है दर्ज किया गया है। खसरा नम्बर 368 रकबा 1.90 हैक्टर के संबंध में शिशपाल, राजू, बोदू पुत्रान् गणेशा जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा के पक्ष में खातेदारी घोषणा की डिक्री कभी किसी न्यायालय द्वारा जारी नही की गई ना ही ऐसा कोई आदेश किसी न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिससे खसरा नम्बर 368 रकबा 1.90 हैक्टर की खातेदारी में कोई बदलाव किया जावे। नामान्तरण की कार्यवाही महज तीन परिस्थितियों में जबकि कोई खातेदार फौत हो गया हो तब उसके उतराधिकारियों के नाम बिरासत नामान्तरण दर्ज किया जाता है, जबकि किसी रजिस्टर्ड डीड के जरिये कोई अन्तरण हुआ हो तब अन्तरिती के पक्ष में नामान्तरण दर्ज किया जाता है, व जबकि योग्य न्यायालय द्वारा घोषणा की डिक्री से खातेदारी बदलने का आदेश पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.18 18:51:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

किया गया हो तब न्यायालय के आदेश की पालना में नामान्तरण दर्ज किया जाता है। इन सभी परिस्थितियों में भी अगर अधिक समय निकल जाये तब संबंधित सभी पक्षकारों को सुनकर व साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर नामान्तरण दर्ज करने अथवा नही करने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त नामान्तरण संख्या 387 की कार्यवाही में उपरोक्त में से किसी भी तथ्य को आधार नही बनाया गया है। उपरोक्त वर्णित नामान्तरण संख्या 387 में निर्णय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर दिनांक 30.10.1982 व निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 20.11.1986 को आधार बताया गया है जबकि निर्णय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर दिनांक 30.10.1982 में आदेश दिया गया है कि "अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री उप जिलाधिकारी, नवलगढ दिनांक 28.09.1981 निरस्त किए जाते है। इस अपील का खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 20.11.1986 को उक्त संबंध में कोई निर्णय ही पारित नही किया गया है। बल्कि उक्त राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 30.10.1982 के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर के यहां अपील की जाने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 29.11.1988 को निर्णय पारित किया गया जिसमें आदेशित किया गया कि "In view of the above we do not find any force in this appeal which is hereby dismissed." । इसी आशय की डिक्री अपील भी जारी की गई जिसमें लिखा है अपील अस्वीकार की जाती है।' उपरोक्त वर्णित आदेशों में कहीं भी किसी खसरा नम्बर की भूमि की घोषणा बाबत अथवा प्रविष्टि बदलने बाबत कोई आदेश नही किया गया है। परन्तु तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा मनमर्जी पूर्वक पक्षकारों से मिलकर अपीलान्ट को बिना सूचना दिए व बिना कोई आधार के नामान्तरण संख्या 387 तस्दीक किया जो निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त सभी तथ्यों व परिस्थितियों के आधार अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 387 तहसीलदार उदयपुरवाटी निरस्त करने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि ग्राम रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि नया खसरा नम्बर 368 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 376 रकबा 6.00 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 8.01 हैक्टर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.18 18:51:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्त उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि ग्राम रघुनाथपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि नया खसरा नम्बर 368 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 374 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 376 रकबा 6.00 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 8.01 हैक्टर स्थित है जो कि हमेशा से अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 17 लगायत 20 के पिता व पति प्रहलाद व रेस्पोडेन्ट 16 की खातेदारी,कब्जे कास्त व हक अधिकारों की भूमि रही है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी सम्वत् 2012 से रामदेवा पुत्र बिन्जा हिस्सा 1/2 व प्रहलाद पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 के नाम से चलती रही तथा रामदेव के फौत होने के पश्चात श्योनाथ पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 व प्रहलाद पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 के नाम से उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी चलती रही तथा इसी अनुसार हक अधिकार रहे है। उपरोक्त वर्णित नए खसरा नम्बरान पुराने खसरा नम्बर 164 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा व पुराना खसरा नम्बर 169 रकबा 24 बीघा 3 बिस्वा से बने है। उक्त वर्णित प्रकार से खातेदारी सम्वत् 2053 तक बदस्तूर चलती रही परन्तु दिनांक 16.09.1998 को नामान्तरण संख्या 387 तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा उपरोक्त वर्णित नए खसरा नम्बरान में से नया खसरा नम्बर 368 रकबा 1.90 हैक्टर की खातेदारी में श्योनाथ पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2, प्रहलाद पुत्र रामदेवा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार की जगह शिशपाल, राजू, बोदू पिता गणेशा जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज कर दिया। उक्त नामान्तरण संख्या 387 दिनांक 16.09.1998 के विरूद्व यह अपील तहसीलदार उदयपुरवाटी के खिलाफ निम्न आधार पर पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित नामान्तरण संख्या 387 तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा बिना पक्षकारों की सुनवाई किए, बिना कोई आधार के, बिना कोई साक्ष्य लिए, बिना कोई दस्तावेज के, बिना कोई जांच के मनमर्जी से स्वीकृत किया है। नामांतरकरण संख्या 387 में निर्णय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर दिनांक 30 अक्टूबर 1982 व निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 20.11.1986 को आधार बताया है। उपरोक्त आदेशों में कहीं भी किसी खसरा नंबर की भूमि की घोषणा बाबत अथवा प्रविष्टि बदलने बाबत कोई आदेश किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.18 18:51:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा मनमर्जी पूर्वक पक्षकारों से मिलकर बिना सूचना व बिना कोई आधार के नामान्तरकरण संख्या 387 तस्दीक किया है । मेरे द्वारा नामांन्तरण संख्या 387 एवं नामांतरकरण में अंकित न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से उक्त नामांतरकरण तस्दीक किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरावाटी द्वारा तस्दीक हस्तगत नामांतरकरण संख्या 387 दिनांक 16.9.1998 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करते हुये नामांतरकरण की कार्यवाही सम्पादित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 18.8.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.08.2021

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.08.18 18:51:51 IST
Reason: SelfAttested